

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-13/अ0 प्र0-01-15/2024

4010

पटना, दिनांक 8-4-25

प्रेषक,

कुमार अनिल सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-37 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष -0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) विपत्र कोड संख्या-37-2515000010009 के विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत प्रावधानित राशि कुल ₹ 29186.13000 लाख (दो सौ इक्यानवे करोड़ छियासी लाख तेरह हजार) रु0 मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मांग संख्या-37 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल ₹ 29186.13000 लाख (दो सौ इक्यानवे करोड़ छियासी लाख तेरह हजार) रु0 मात्र की व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	बजट शीर्ष 2515 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध (रूपया में)	कुल स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	0009-01-01 - वेतन	1447562000	1447562000
2	0009-01-03 - जीवन यापन भत्ता	897488000	897488000
3	0009-01-04 - मकान किराया भत्ता	268015000	268015000
4	0009-01-05 - परिवहन भत्ता	583000	583000
5	0009-01-06 - चिकित्सा भत्ता	26940000	26940000
6	0009-01-07 - अन्य भत्ता	6475000	6475000
	योग (क)	2647063000	2647063000
7	0009-06-01 - चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8000000	8000000
8	0009-11-01 - यात्रा व्यय	10000000	10000000
9	0009-13-01 - कार्यालय व्यय	25000000	25000000
10	0009-13 02 - वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	25000000	25000000
11	0009-13-03 - दूरभाष	7000000	7000000
12	0009-13-04 - विद्युत प्रभार	12500000	12500000
13	0009-13-05 - विधि प्रभार	10000000	10000000
14	0009-14-01 - किराया महसूल एवं कर	24000000	24000000

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

15	0009-20-03 - प्रशिक्षण व्यय	50000	50000
16	0009-28-02 - संविदा सेवायें	150000000	150000000
	योग (ख)	271550000	271550000
	कुल योग (क)+(ख)	2918613000	2918613000

1. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में विपत्र कोड संख्या-37-2515000010009 के विभिन्न विषय शीर्षों से विकलनीय होगा।
2. स्वीकृत राशि की निकासी आवंटन आदेश के आलोक में संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता का कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार के माध्यम से की जाएगी।
3. आवंटन आदेश CFMS के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्राक-227 दिनांक-28.03.2025 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।
4. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले विपत्र पर मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/ प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में गणना एवं अभिलेख संधारण में सुविधा हो।
5. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. इस राशि के व्यय की स्वीकृति पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-11/2025 में दिनांक- को संचिका के पृ०- /टि० पर प्राप्त है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-11/2025 के पृष्ठ संख्या-3/टि० पर दिनांक- 4.4.25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक 8.4.25

ज्ञापांक -13/अ० प्र०-01-15/2024 4010

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना/ संचाई भवन, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक 8.4.25

ज्ञापांक -13/अ० प्र०-01-15/2024 4010

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक -13/अ0 प्र0-01-15/2024

4010

पटना, दिनांक 8.4.25

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

8/4/25
सरकार के संयुक्त सचिव